न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 86 / 2018 (उदयपुर डिकी)

1. अम्बालाल पिता स्वर्गीय वरदा जी माली, निवासी भाना मगरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर, हाल निवासी 181, ठाकुरवास, लक्ष्मीपुरा, अहमदाबाद, गुजरात–382405
2. गणेश पिता स्वर्गीय वरदा जी माली, निवासी भाना मगरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर, हाल निवासी 181, ठाकुरवास, लक्ष्मीपुरा, अहमदाबाद, गुजरात–382405
3. श्रीमती भागु बेन पत्नी स्वर्गीय वरदा जी माली, निवासी भाना मगरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर, हाल निवासी 181, ठाकुरवास, लक्ष्मीपुरा, अहमदाबाद, गुजरात–382405
4. श्रीमती कमला बाई पुत्री स्वर्गीय वरदा जी माली, निवासी किशोर जी का खेड़ा ने गडिया इडरा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5. श्रीमती ललिता पुत्री स्वर्गीय वरदा जी माली पत्नी पप्पूलाल जी माली, निवासी सातम्बा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. लाली पुत्री सवाजी पत्नी कालुराम जी गुर्जर, निवासी भाना मगरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. मोडीलाल पिता हीमाजी गुर्जर, निवासी भाना मगरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. गोपीलाल पिता हीमाजी गुर्जर, निवासी भाना मगरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती सुगनाबाई पत्नी स्वर्गीय रामलाल जी गुर्जर, निवासी भाना मगरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. विनोद पिता स्वर्गीय रामलाल जी गुर्जर, निवासी भाना मगरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

6. चेतन पिता स्वर्गीय रामलाल जी गुर्जर, निवासी भाना मगरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त.अधि.—1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 29–03–2017, प्र.सं. 261/08

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री सुखलाल मेघवाल अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री नारायणलाल जाट अभिभाषक रस्पो. सं. 2
3. श्री अभिमन्यु जाट अभिभाषक रेस्पो.सं. 3 से 6

———:::———

निर्णय दिनांक

24—05—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भानामगरा में स्थित आराजी नंबर 2257 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि संवत् 2050 से 2053 में वादिया के खातेदारी हक में दर्ज है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष सवा जी के बेवा वरदी व दो पुत्रियां उदी व लाली हुई। वरदी बाई को देहावसान हो चुका है तथा उदी ने अपना 1/2 हिस्सा दिनांक 18—06—2007 को वादिया के पक्ष में उत्यागित कर दिया है, जिससे वादिया उक्त भूमि की एक मात्र स्वामी होकर काबिज है, किन्तु प्रतिवादीगण वादिया को परेशान करते हैं एवं जबरन बेदखल करने पर आमादा हैं। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादिया के नाम गलत दर्ज है। काउण्टर क्लेम की कलम संख्या 2 में सजरा प्रस्तुत कर बताया कि सजरे अनुसार इस जमीन पर प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3

हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के भाई रामलाल के वारिसान का है। विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का 50 वर्षो से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। अतः काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी नंबर 2257 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा तथा रामलाल के वारिसान सुगमाबाई, विनोद व चेतन का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाकर वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रकरण में आदेश 1 नियम 10 जा.दी. के आवेदन के तहत रामलाल के वारिसान सुगमाबाई, विनोद व चेतन को प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के रूप में जोड़ा गया।

वादिया द्वारा प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम का जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर काउण्टर क्लेम में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता प्रतिवादीगण की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 29–03–2017 से प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार करते हुए विवादित आराजी नंबर 2257 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को सुगमाबाई, विनोद व चेतन का 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 29–03–2017 से रूष्ट होकर वर्तमान अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–09–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी उन्हें दिनांक 23–08–2018 को पटवारी हल्का के माध्यम से हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

अपील के साथ दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि की खातेदार विपक्षी संख्या 1 लाली

थी, जिसके बाद उक्त भूमि सुरेन्द्र नागदा पुत्र शंकरलाल व सुरेश जणवा पुत्र शिवलाल के नाम नामान्तरकरण संख्या 3879 दिनांक 13–07–2012 को दर्ज हुई। सुरेश जणवा का 1/2 हिस्सा शंकरलाल के नाम नामान्तरकरण संख्या 4429 दिनांक 06–08–2012 से दर्ज हो गया। यानि सुरेन्द्र नागदा उक्त भूमि का पूर्ण रूप से खातेदार हो गया तथा सुरेन्द्र से श्रीमती सुन्दर कंवर पत्नी मदनसिंह के नाम नामान्तरकरण 4551 दिनांक 20–03–2013 से उक्त भूमि दर्ज हुई। उसके बाद श्रीमती सुन्दर कंवर के बिकाव से प्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5 के पिता व प्रार्थी संख्या 3 के पति श्री वरदा के नाम नामान्तरकरण संख्या 4924 से भूमि दर्ज है तथा वरदा का निधन दिनांक 17–11–2017 को हो गया। तब से प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार कृषक होकर आधिपत्यधारी हैं एवं विपक्षीगण का उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार होने से उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

हमने उक्त दोनों आवेदनों का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29–03–2017 की अपील इस न्यायालय में दिनांक 28–05–2017 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, जबकि यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–09–2018 को अर्थात करीब 1 वर्ष 4 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, इसके लिए जो कारण अपीलान्ट द्वारा लिये गये हैं वह पर्याप्त एवं उचित कारण नहीं हैं। स्वयं अपीलान्ट के कथनानुसार उन्हें दिनांक 23–08–2018 को जानकारी हो चुकी थी तथा नकल भी उसे दिनांक 30–08–2018 को प्राप्त हो चुकी थी, फिर भी उनके द्वारा नकल प्राप्ति के करीब 12 दिन विलम्ब से उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है। लेकिन चूंकि अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक दफा 96 जा.दी. के आवेदन का प्रश्न है, अपीलान्ट ने इस बाबत् इस न्यायालय में नामान्तरकरण की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 4924 से भूमि

प्रार्थीगण के पिता वरदा जी के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है, जिसके आधार पर प्रार्थीगण अपने आपको प्रभावित होना बताते हैं। किन्तु उसके बाद डिक्री आदेश से पुनः नामान्तरकरण संख्या 5229 से विवादित भूमि मोडीलाल पिता हीमा, गोपीलाल पिता हीमा, व सुगनाबाई पत्नी रामलाल, विनोद व चेतन पिता रामलाल के नाम 1/3, 1/3 हिस्से से दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। अर्थात पुनः नामान्तरकरण संख्या 5229 दिनांक 18–06–2017 से भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण अर्थात हाल रेस्पोन्डन्टगण के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है एवं उस वक्त स्वयं अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वरदा के मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार उनकी मृत्यु दिनांक 17–11–2017 को हुई अर्थात वक्त नामान्तरकरण संख्या 5229 दिनांक 18–06–2017 वरदा जी जीवित थे तो फिर उनके द्वारा उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी, स्पष्ट नहीं है। लेकिन चूंकि उक्त डिक्री अपीलान्ट/प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वाधिकारी वरदा जी की अनुपस्थिति में उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित की गयी है। अतः न्यायहित में उन्हें सुनवाई का अवसर दिये जाने के दृष्टिगण अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री नन्दलाल जाट उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 6 की ओर से वकील श्री अभिमन्यु जाट उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया/रेस्पोन्डेन्ट व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में वादिया का वाद निरस्त कर प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 6 का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 6 का प्रतिकूल कब्जा मानते हुए उन्हें विवादित भूमि का खातेदार घोषित कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3 (प्रतिवादी संख्या 1, 2) की ओर से प्रस्तुत काउण्टर क्लेम निरस्त किया जावे तथा वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वाद अपीलान्टगण को वादिया के स्थान पर स्थापित करते हुए डिक्री फरमाया जावे।

रेस्पोन्डेन्टगण के विद्वान अभिभाषक ने अपीलान्टगण के बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादीगण अर्थात हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 6 के काउण्टर क्लेम को स्वीकार कर उन्हें खातेदार घोषित किया है, जो उपलब्ध साक्ष्य सबूत अनुसार विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि वादी का वाद दिनांक 11–09–2014 को उसके अनुपस्थित रहने के कारण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद वादिया द्वारा प्रकरण को दोतरफा करने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा काउण्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया है इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल प्रतिवादीगण की ही बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। लेकिन चूंकि अपीलान्टगण के पिता वरदा जी का नाम नामान्तरकरण संख्या 4924 से दर्ज हो चुका था एवं इसी आधार पर उन्हें प्रभावित पक्षकार मानते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की गयी है। तद्नुसार उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–03–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को पक्षकार संस्थित कर उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22–07–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

पन्नालाल पिता शंकरलाल माली, नि0 ईण्टाली, तह॰ मावली, जिला उदयपुर

बनाम

रामा पिता शंकरलाल माली, नि0 ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....67 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....वल्लभनगर..... मुकाम.....मुवर्खे.....20.....माह..... 05.....2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....26....माह.....04.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री तुलसीराम डांगी.....मिनजानिब अपीलान्ट व....श्री अजयसिंह हाडा

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20–05–2017 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....26.....माह.....04..... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।